मध्यप्रदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण नियम, 2009

अधिसूचना क्रमांक एफ 1-22-2009-**छब्बीस**-2 **दिनांक** 2 **जुलाई**, 2009—**माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम** 2007 (2007 **का सं**. 56) की धारा 18 की उपधारा (1) द्‌वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्‌द्‌वारा, सामाजिक न्याय विभाग के समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को, चाहे वह किन्हीं भी नामों से ज्ञात हों। **भरण-पोषण अधिकारी** के रूप में पदाभिहित करती है और वह भरण-पोषण अधिकारी, यदि उससे माता-पिता द्‌वारा ऐसी वांछा की जाए, यथास्थिति, अधिकरण या अपील अधिकरण की कार्यवाहियों के दौरान उनका प्रतिनिधित्व करेगा।

[म. प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2-7-2009 पृष्ठ 613 पर प्रकाशित।]